<u>राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 131वीं बैठक के कार्यवृत्त</u>

प्रबन्धक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा श्री पी.एस.जयकुमार की अध्यक्षता में **दिनांक 28.11.2016** को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 131वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित गणमान्य अधिकारी उपस्थित रहे :-

1. श्री राजीव सिंह ठाकुर, शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं स्टेट मिशन निदेशक
2. श्री देबाशीष पृष्टी, आयुक्त ई.जी.एस, राजस्थान सरकार
3. श्री विक्रम सिंह चौहान, विशिष्ठ शासन सचिव राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार
4. श्री अंबरीश कुमार, निदेशक कृषि, राजस्थान सरकार
5. श्री डी.के.मीना, महाप्रबंधक (निर्गम विभाग), भारतीय रिजर्व बैंक
6. श्री एच.एस.खितौलिया, महाप्रबंधक (एफआईडीडी), भारतीय रिजर्व बैंक
7. श्री आर.के.थानवी, महाप्रबंधक नाबार्ड

बैठक में उक्त अधिकारियों के साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, विभिन्न बैंकों, बीमा कम्पनियों, इंडिया पोस्ट व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों / अधिकारियों ने संलग्न सूची के अनुसार सहभागिता की।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान द्वारा बैठक के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा बैठक के अध्यक्ष महोदय को नाबार्ड की यूनिट कोस्ट पुस्तिका के विमोचन एवं उदबोधन हेतु अनुरोध किया गया।

बैठक के अध्यक्ष तथा प्रबन्धक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं मंचासीन गणमान्य सदस्यों के द्वारा नाबार्ड की इकाई लागत (Unit Cost) पुस्तिका का विमोचन किया। उन्होने उदबोधन में विमुद्रीकरण की पृष्ठभूमि में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की भूमिका को असाधारण बताते हुए आने वाली चुनौतियों के बारे में चर्चा की। उन्होनें राज्य मे बैंकों के कार्यनिष्पादन पर बधाई देते हुए बताया कि राज्य में बैंक कर्मचारियों ने विमुद्रीकरण के कारण उमड़ी भारी भीड़ को सराहनीय रूप से संभाला एवं ग्राहकों से करोड़ों रुपये की जमा प्राप्त करने में सफल रहे। उन्होने प्रधानमंत्री की विमुद्रीकरण योजना के दूरगामी लाभों जैसे भुगतान प्रक्रिया के डिजिटलीकरण होने से टैक्स भुगतान की अनुपालना में सुधार, बैंकिंग प्रक्रिया की लागत में कमी के बारे में बताया।

उनके उदबोधन के सार बिन्दु निम्नानुसार रहे :-

राज्य में विमुद्रीकरण के कारण बैंक जमाओं में वृद्धि दर सराहनीय रही है एवं राज्य में कार्यरत सभी बैंक इस हेतु प्रशंसा के पात्र हैं।

- राज्य में अच्छे मानसून के मद्देनजर कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में 45000 करोड़ के नए ऋण देने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

- विमुद्रीकरण के परिप्रेक्ष्य में बैंकों के साथ वित्त मंत्रालय, कैबिनेट सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, भारत सरकार की सक्रिय भूमिका का उल्लेख किया।

- बैंकों को डिजिटलीकरण की तरफ अग्रसर होने पर ज़ोर दिया जिसके लिए सभी ग्राहकों में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, त्वरित प्रतिक्रिया कोड, आरटीजीएस, व्यापारियों में पॉइंट ऑफ सेल मशीन आदि की लोकप्रियता बढ़ाने की आवश्यकता बताई।

- बैंकों में खोले गए खातों और डेबिट कार्ड के वितरण में लगभग 40% का अंतर बताया। इस अंतर को शाखा स्तर पर सुनियोजित रणनीति बना कर शून्य करने एवं वितरित हो चुके डेबिट कार्डों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के लिए ग्राहकों को शिक्षित करने पर ज़ोर दिया।

- डिजिटलिकरण के लिए हार्डवेयर रहित सुविधाएं जैसे अंर्तकार्यकारी (Interoperable) त्वरित प्रतिक्रिया कोड (QR Code) के आगामी 15 से 20 दिनों में प्रारम्भ हो जाने की संभावना बताई।

- बैंकों में नकदी की आवश्यकता एवं उपलब्धता के बीच के अंतर को डिजिटलीकृत व्यवस्था को बढ़ाकर कम किया जा सकता है।

- डिजिटलीकरण बढ़ाने के लिए बैंकों को मोबाइल फोन के लिए ऋण उपलब्ध कराने एवं राज्य सरकार द्वारा व्यापारियों को नकदीहीन (Cashless) लेन-देन के लिए प्रोत्साहन राशि देने की योजना लाने हेतु अनुरोध किया।

- लक्ष्य प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में अच्छे मानसून को देखते हुए बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में संवृद्धि एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी मानकों जैसे टपकन सिंचाई (Drip Irrigation) व्यवस्था, भंडारण हेतु गोदाम, यंत्रीकरण आदि को पहचानकर ऋण दिये जाने की आवश्यकता बताई जिससे जमीनी स्तर पर किसानों की आमदनी भी बढ़ सकेगी।

- मुद्रा ऋण योजना के अंतर्गत ऋण देने में आर सेटी की भूमिका की सराहना की गई और इन संस्थानों से आरसेटी/ रुडसेटी से प्रशिक्षित लोगों में व्यवसाय के लिए जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया।

- बैंकों को कैंप मोड में खाते खोलने एवं खातों में आधार कार्ड सीडिंग कर लोगों को डिजिटलीकृत बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने पर ज़ोर दिया।

अध्यक्ष तथा प्रबन्धक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने राजस्थान सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सदस्य बैंक व अन्य हितधारकों के आपसी सहयोग व समन्वय से राज्य के सतत विकास प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति पर धन्यवाद भी ज्ञापित किया।

इसके पश्चात **सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति श्री आर.के.मीना** द्वारा विभिन्न कार्यवाही बिन्दु पर प्रस्तुतीकरण आरंभ किया।
<u>एजेण्डा क्रमांक –1</u> (1.1) विगत **130** वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

एजेण्डा क्रमांक –1 (1.2) **130** वीं बैठक के कार्यवाही बिन्दु **(ATR):-**

1. ऑन-साईट ए.टी.एम. की स्थापना

पिछली बैठक के दौरान अध्यक्ष, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने सितम्बर 2016 तक 50 white label ए.टी.एम. स्थापित करने का आश्वासन दिया था। उन्होने बतलाया कि 41 ए.टी.एम. बैंक को प्राप्त हो गए हैं जिसमें से 18 ए.टी.एम. Cash Live हो गए हैं तथा शेष 30 नवम्बर 2016 तक आरंभ होने से सूचित किया गया।

(कार्यवाही: बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)

भारतीय स्टेट बैंक ने पिछली बैठक के दौरान राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के द्वारा मार्च 2017 तक 35 ए.टी.एम. स्थापित कर दिये जाने का आश्वासन दिया था, वर्तमान में बैंक के 5 ए.टी.एम. कार्यरत हैं तथा शेष 31 मार्च 2017 तक आरंभ किये जाने से सूचित किया गया। इस सम्बंध में महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक को सदन के समक्ष टिप्पणी देने हेतु कहा गया ।

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आश्वासन दिया कि हमारे बैंक द्वारा इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 में ए.टी.एम. स्थापित कर दिये जायेंगे।

(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक)

2. आरसेटी संस्थानों को भूमि आवंटन

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में कुल 35 आरसेटी / रूडसेटी संस्थान परिचालन में हैं जिनमें से 4 आरसेटी (भरतपुर, अलवर, चित्तोडगढ़ एवं सवाईमाधोपुर) के भूमि आवंटन प्रकरण राज्य सरकार के पास निस्तारण हेतु लंबित हैं।

आरसेटी, भरतपुर को भूमि आवंटन करने संबंधी पत्रावली शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार से निर्णय हेतु अनुरोध किया गया।

आरसेटी, सवाईमाधोपुर को आवंटित भूमि पर माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश होने के कारण निर्माण कार्य बाधित हो गया है। संस्थान को वैकल्पिक भूमि आवंटित करने का आवेदन जिला प्रशासन के स्तर पर विचाराधीन है। शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध है कि जिला प्रशासन से 31 दिसम्बर 2016 तक भूमि आवंटन करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें क्योंकि आरसेटी का निर्माण कार्य 31 दिसम्बर 2016 तक शुरू होने पर ही ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार से 1 करोड़ रुपये की अनुदान राशि दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।

आरसेटी, अलवर को भूमि आवंटन करने का आवेदन जिला प्रशासन के स्तर पर विचाराधीन है। **महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक** ने बताया कि उन्हें आर सेटी, अलवर के लिए जो भूमि आवंटित की गयी थी उसके लिए वन विभाग से एनओसी प्राप्त नहीं होने के कारण वर्तमान में आरसेटी का संचालन अस्थायी भवन में करना पड़ रहा है। शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध है कि जिला प्रशासन से भूमि आवंटन करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

आरसेटी ,चित्तौड़गढ़ को जिला प्रशासन द्वारा भूमि आवंटित कर दी गई है। पत्रावली शासन सचिव, शहरी आवास विकास, राजस्थान सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। शासन सचिव, ग्रामीण विकास

विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध है कि जिला प्रशासन/राज्य सरकार से भूमि आवंटन करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें।

(कार्यवाही :शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग)

विशिष्ट सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार ने बताया कि आरसेटी भरतपुर, चित्तौड़गढ़ एवं सवाई माधोपुर के भूमि आवंटन का प्रकरण राज्य स्तर पर लंबित नही है एवं सभी जिला प्रशासन को प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया जावेगा।

सचिव ग्रामीण विकास राजस्थान सरकार ने बैंकों से जिला प्रशासन के सहयोग से जिला मुख्यालय के अलावा जिले में अन्य स्थान/कस्बा/शहर में आरसेटी के लिए उपयुक्त भूमि तलाशने का सुझाव दिया।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने कहा कि उक्त प्रकरण लंबे समय से लंबित हैं तथा भूमि आवंटन पर अंतिम निर्णय के अभाव में निर्माण प्रक्रिया आरंभ नहीं हो पा रही है। अतः इन सभी आरसेटी को भूमि आवंटित किए जाने हेतु ग्रामीण विकास विभाग एवं राजस्व विभाग राजस्थान सरकार से इस आशय में तीव्र फोलो-अप किए जाने का अनुरोध किया।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि पिछली राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैठक के दौरान शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आरसेटी एवं रूडसेटी में संकाय एवं स्टाफ की नियुक्ति किए जाने के साथ ही प्रशिक्षित युवाओं के बैंक लिंकेज करवाने तथा कौशल विकास के साथ साथ प्रशिक्षु को स्वरोजगार दिलाये जाने अर्थात व्यवस्थापन दर (settlement rate) में अपेक्षित वृद्धि किये जाने बाबत बैंकों द्वारा सकारात्मक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता बताई गयी थी।

इस क्रम में आरसेटी प्रायोजित बैंकों को व्यवस्थापन दर (Settlement Rate) में अपेक्षित वृद्धि किए जाने हेतु प्रयास करने के निर्देशों के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में सितम्बर माह तक 18723 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है तथा 6090 व्यक्तियों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। जून 2016 तिमाही के 19.51% के सापेक्ष में 32.53% प्रशिक्षणार्थियों को व्यवस्थापित किया गया है।

शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार ने जिला प्रशासन और बैंकों के कार्य की सराहना करते हुए निदेशक, आरसेटी के कार्य भूमिका की चर्चा की।उन्होने यह जानना चाहा कि जिन बैंक अधिकारियों का पदस्थापन आरसेटी में किया जाता है उन्हे कोई भत्ता या प्रोत्साहन राशि दी जाती है अथवा नहीं। इस संबंध में PNB के अधिकारी ने सूचित किया कि उनके बैंक द्वारा आरसेटी में पदस्थापित अधिकारी को पदस्थापन भत्ता (Deputation Allowance) दिया जाता है। शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार ने यह भी बताया कि अधिकतर आरसेटी एक ही तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है। अतः उन्होने खंड स्तर और जिला स्तर पर अध्ययन कर आरसेटी में नए स्थानीय आवश्यकतानुसार रोजगार उन्मुख कार्यक्रम जोड़ने का सुझाव दिया।

(कार्यवाही: आरसेटी प्रयोजक बैंक)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने आर सेटी प्रायोजित बैंकों से आरसेटी संस्थान के कार्यकलापों को बेहतर बनाने के लिए नियमित निगरानी रखने की आवश्यकता बताई।

राज्य प्रमुख, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ने बताया कि उनके बैंक द्वारा चलायी जा रही आरसेटी, जोधपुर द्वारा भीकमपुर गाँव की महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई एवं युवकों को पत्थर तराशने का प्रशिक्षण दिया गया जिससे उनकी आमदनी में लगभग 40% तक का इजाफा हुआ है।

श्री जयपाल सिंह कौशिक, राजीविका ने व्यवस्थापन दर पहले से बहुत कम हो जाने पर चिंता व्यक्त की और इसे बढ़ाने पर ज़ोर दिया। साथ ही साथ अधिक से अधिक प्रशिक्षित लोगों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता बताई।

3. Amendment in PDR Act, to include the Banks` dues under Government Sponsored programs as State dues under the definition of Financial Assistance for enabling the Banks to recover their dues

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में बढते NPA को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1952 में संशोधन सम्बन्धित प्रस्ताव पर पुन: विचार करने हेतु अनुरोध किया गया।

संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने विशिष्ठ शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार से इस विषय में प्रयास तेज करने का अनुरोध भी किया गया।

विशिष्ठ शासन सचिव, राजस्व विभाग एवं निदेशक भू-अभिलेख, राजस्थान सरकार ने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति स्तर से यह एजेंडा पिछले कई वर्षों से उठाया जा रहा है तथा पहले भी एक्ट में संशोधन हेतु मंत्री महोदय के समक्ष एजेंडा प्रस्तुत किया गया था, अब इस एक्ट में संशोधन करने के सम्बन्ध में पुन: विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा तथा उन्होने इस संबंध में राज्य सरकार से पुनः पत्रावली पर कार्यवाही प्रारम्भ करने का आश्वासन दिया।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग राजस्थान सरकार)

4. साख- जमा अनुपात (CD Ratio)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राजस्थान में 3 जिलों का CD Ratio 50% से कम है जिसमे से डुंगरपुर जिले का CD Ratio 40% से भी कम होने के कारण अग्रणी जिला प्रबन्धक के समन्वय से विशेष उप समिति गठित की जाएगी एवं अग्रणी जिला अधिकारी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी.डी.एम. नाबार्ड एवं जिला कलेक्टर या प्रतिनिधि अधिकारियों द्वारा इस जिले के साख जमा अनुपात प्रदर्शन की निगरानी की जाएगी।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक, डुंगरपुर)

समीपवर्ती राज्यों के वार्षिक साख योजना के अंतर्गत प्रगति के तुलनात्मक आंकड़े पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण में दर्शाये गए हैं। दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वार्षिक साख योजना अंतर्गत सितम्बर 2016 तिमाही तक प्रगति 39.22% एवं को-ऑपरेटिव बैंक की 29.33% होने से सूचित किया गया और राज्य की समग्र उपलब्धि के सापेक्ष इन बैंकों ने कम ऋण वितरण किया है अतः इस पर ध्यान कर ऋण प्रवाह बढ़ाने को कहा गया।

(कार्यवाही: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं को-ऑपरेटिव बैंक)

5. वित्तीय समावेशन प्लान (FIP)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन प्लान "अप्रैल 2016 से मार्च 2019" केवल 9 बैंकों द्वारा प्रस्तुत किया है, शेष बैंकों को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन प्लान भारतीय रिजर्व बैंक एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को शीघ्र प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त शेष बैंक)

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री एच.एस.खितौलिया ने बताया की बैंक रहित 5000 से अधिक आबादी वाले 171 चिन्हित गांवो में से केवल 9 स्थानों पर ही नयी शाखाएँ खोली गयी हैं। बैंकों को इन सभी स्थानों पर शाखाएँ 31 मार्च 2017 तक खोलने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने संबन्धित बैंकों को इस प्रसंग में अतिशीघ्र कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा डिजिटलीकरण (Digitization) को और आगे ले जाने पर सुझाव देते हुए बतलाया कि 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित गांवो में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा उत्तरप्रदेश के प्रतापगढ़ कस्बे में खोली गयी डिजिटल शाखा मॉडल के अनुरूप एकल अधिकारी की सेवा आधारित शाखाएँ खोली जा सकती हैं। इस हेतु बैंकों को प्रयास करने चाहिए।

(कार्यवाही: संबन्धित समस्त बैंक)

6. सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ (Social Security Schemes)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में बैंकों द्वारा स्वतः नवीनीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। PMSBY एवं PMJJBY में प्रगति के साथ दावों की स्थिति पावरपोईंट में प्रस्तुत की गयी।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा वित्तीय समावेशन कार्यान्वयन समिति की प्रथम बैठक में सरकारी व गैर सरकारी ITIs व अन्य कौशल विकास केन्द्रों में बैंकों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता प्रसार हेतु केन्द्रों से सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के संबन्धित विभाग से निर्देश जारी कर दिये जाने से सूचित किया गया। निर्देशों की प्रति 131वीं बैठक की कार्यसूची के अनुलग्नक संख्या 45 पर उपलब्ध है।

7. वित्तीय शिक्षा एवं साक्षरता (Financial Education and Literacy)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम ने भारतीय बैंक संघ द्वारा अनुमोदित कौशल ऋण योजना में ऋण उपलब्ध करवाने पर लाभार्थियों को राजस्थान सरकार से ब्याज अनुदान प्रदान किये जाने की योजना लागू करने के निर्णय से अवगत करवाया।

(कार्यवाही: राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

8. कनेक्टिविटी की समस्या (Connectivity Issues)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि कनेक्टिविटी की समस्या के बारे में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार को पत्र संख्या RZ:SLBC: PMMY:2016-17:667 दिनांक18.10.2016 से अवगत करवाया है।

जिन स्थानों पर शाखा/ बी.सी. संचालित करने में कनेक्टिविटी की समस्या आ रही है उन स्थानों पर बैंकों ने राज्य सरकार के कनेक्टिविटी चैनल के माध्यम से कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: DOIT विभाग, राजस्थान सरकार)

बैंकों द्वारा कनेक्टिविटी की समस्या से ग्रस्त 819 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ नाबार्ड ने FIF के अंतर्गत सोलर वीसैट लगाने के लिए फ़ंड स्वीकृत किया है, सोलर वीसैट लगाने की बैंकों के स्तर पर प्रक्रिया प्रारम्भ होने से सूचित किया।

(कार्यवाही: संबंधित बैंक)

9. 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित गांवों का रोडमैप

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के रोडमैप के अंतर्गत राज्य में 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित 171 गांवों में से 30 सितम्बर 2016 तक 9 गांवों में बैंक शाखाएँ खोली जा चुकी हैं एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदया के बजट में 500 शाखाएँ खोलने की घोषणा के मद्देनजर 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित गांवों में शाखाएँ खोलने के प्लान को भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक के द्वारा 130वीं एसएलबीसी बैठक में दी गयी सलाह के अनुसार बैंकों की वार्षिक शाखा विस्तार योजना के साथ मानचित्रण (Mapping) करने हेतु अनुरोध किया ताकि अधिकतम स्थानों पर शाखाएँ खोली जा सके।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

10. बी.सी. को उचित पारिश्रमिक का भुगतान (Payment of remuneration to BC)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि BC को कई नए कार्य चिन्हित कर आवंटित किए हैं जिनमें आधार सीडिंग, रुपये कार्ड एक्टिवेशन, onus एवं offus लेन-देन, पैसे जमा करने और निकालने की सुविधा, वसूली कार्य, ऋण प्रस्ताव सृजित करना इत्यादि हैं एवं अतिरिक्त गतिविधियां जोड़ने के पश्चात BC की आमदनी में वृद्धि देखी गयी है।

बैठक के अध्यक्ष तथा प्रबन्धक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने BC को दिये जाने वाले पारिश्रमिक तथा प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने हेतु विभिन्न कार्य देकर एवं नियमित निगरानी रखने का सुझाव दिया ताकि सभी BC ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग गतिविधियों में भाग ले सकें।

11. आधार सीडिंग (Aadhar Seeding)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बल्क आधार सीडिंग का प्रकरण वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार को मार्गदर्शन दिये जाने हेतु संदर्भित किया है एवं वित्तीय सेवाएँ विभाग ने राज्य सरकार के मनरेगा/ भामाशाह डेटाबेस में प्राप्त किए गए सहमति पत्र की

प्रतियाँ उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राज्य सरकार से प्राप्त प्रपत्र दिनांक 15.11.2016 से पुनः वित्तीय सेवाएँ विभाग को अग्रेषित किए हैं। विभाग से प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

(कार्यवाही: वित्त सेवाएँ विभाग, भारत सरकार)

आयुक्त, ई.जी.एस, राजस्थान सरकार श्री देबाशिष प्रुष्टी ने बताया कि उनके विभाग द्वारा सक्रिय मनरेगा लाभार्थियों के खातों में आधार सीडिंग हेतु 13.55 लाख सहमति पत्र बैंक शाखाओं को भेजे हुए हैं जिन्हें शीघ्र खातों में सीड किए जाने की आवश्यकता बताई जिससे मनरेगा लाभार्थियों का पारिश्रमिक सीधे उनके खाते में जमा हो सके।

(कार्यवाही: संबन्धित समस्त बैंक)

संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बतलाया कि 33 जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धकों में से सिर्फ 2 अग्रणी जिला प्रबन्धकों यथा कोटा एवं बांरा को सीमित संख्या में उक्त सहमति पत्र प्राप्त हुए हैं। उन्होने आश्वासन दिया कि शेष जिलों में जैसे ही निर्धारित प्रारूप में सहमति पत्र प्राप्त होंगे उनकी सीडिंग करवायी जाएगी। आयुक्त, ई.जी.एस. से बैंक शाखावार विवरण उपलब्ध करवाने हेतु आग्रह किया।

राज्य प्रमुख, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ने सुझाव दिया कि आधार संख्या सीडिंग हेतु सहमति पत्रों की सुपुर्दगी को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति स्तर पर अथवा केंद्रीयकृत व्यवस्था भी अपनायी जा सकती हैं। उन्होंने बतलाया कि शाखाओं को प्राप्त सहमति पत्रों के साथ आधार की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न नहीं है जिससे यथोचित अध्यवसाय (due diligence) करने में कठिनाई आ रही है.

(कार्यवाही: आयुक्त, ई.जी.एस. एवं समस्त बैंक)

शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार श्री राजीव सिंह ठाकुर ने उक्त मुद्दे को निस्तारण करने हेतु विभाग को अलग से बैठक आयोजित करने हेतु निर्देश दिये।

अन्य कार्यवाही बिन्दु (Other Action Points)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य सरकार के संबन्धित विभाग से प्रोजेक्ट लाइफ- मनरेगा में मोबिलाईज किए गए इच्छुक कामगारों को आरसेटी/ रुडसेटी संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह अक्टूबर 2016 तक 8839 कामगारों को प्रशिक्षण के लक्ष्यों के सापेक्ष 4130 कामगारों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

आरसेटी या रुडसेटी संस्थानों में प्रोजेक्ट के अंतर्गत कोई कामगार प्रशिक्षण हेतु बकाया/लंबित नहीं है। उन्होने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि इच्छुक कामगारों को मोबिलाईज कर आरसेटी/रुडसेटी संस्थानों को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करवायी जाए।

शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं स्टेट मिशन निदेशक, आजीविका प्रोजेक्ट व एस.एच.जी., ने इस आशय में सहमति जताई।

(कार्यवाही: आयुक्त, ई.जी.एस)

12. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि चूरु जिले में रबी फसल बीमा वर्ष 2013-14 की लंबित संशोधित क्लेम की राशि को संबन्धित कृषकों के बैंक खातों में जमा नहीं करने के मामले के निवारण हेतु निदेशक, कृषि, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 12.12.2016 को बैठक आयोजित की जाएगी। उक्त बैठक में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बकाया कमीशन भुगतान एवं आधिक्य (Excess) प्रीमियम रिफ़ंड नहीं करने का मामला तथा भारतीय स्टेट बैंक के मुद्दे का निवारण करने का भी आग्रह किया गया। निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने बकाया मामलों को निस्तारित करने पर सहमति देते हुए बैठक में सभी पक्षकारों को आमंत्रित करने का आश्वासन दिया।

(कार्यवाही: कृषि विभाग, राजस्थान सरकार)

निदेशक कृषि, राजस्थान सरकार ने फसल बीमा की प्रक्रिया में आने वाली विसंगतियों को दूर करने हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाये गए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल की जानकारी दी एवं उससे होने वाले फ़ायदों के बारे में बताया। उन्होने उक्त वेब पोर्टल को शाखा के सीबीएस सिस्टम पर ऑपरेट करने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

राज्य प्रमुख, बैंक ऑफ इंडिया ने सुझाव दिया कि राजस्थान सरकार द्वारा सभी बैंकों को वेब पोर्टल की जगह वांछित सूचना का टेंप्लेट भिजवा दिया जाए ताकि सूचना पोर्टल पर एकमुश्त अपलोड कर दी जावे। लेकिन निदेशक, कृषि, राजस्थान सरकार द्वारा बतलाया गया कि इस प्रक्रिया से आधार कार्ड संख्या की ऑनलाइन जांच संभव नही है तथा दोहरे बीमा को रोका जाना संभव नहीं होगा।

13. स्वयं सहायता समूह एवं सरकार प्रायोजित योजनाओं में प्रगति

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि स्वयं सहायता समूह का बचत खाता खोलने तथा बैंक ऋण आवेदन भारतीय बैंक संघ (आईबीए) से अनुमोदित है तथा समस्त बैंक नियंत्रकों को बार बार प्रेषित कर शाखाओं को अनुमोदित प्रारूप का उपयोग किए जाने का अनुरोध किया गया है। उन्होने समस्त नियंत्रकों से इसे पुनः दोहराए जाने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं स्टेट मिशन निदेशक ने बताया कि बैंकों को पिछले ऋण शिविरों में प्राप्त हुए लगभग 12000 आवेदन फॉर्म विमुद्रीकरण के कारण नवम्बर माह में प्रोसेस नहीं हो पाये हैं एवं आगामी दिसंबर माह में ऋण शिविर आयोजित कर निस्तारण करने के निर्देश दिये। उन्होने बैंकों के पास SGSY अनुदान की राशि लगभग 15 करोड़ रुपये बैंको के पास खातों में अवशेष है, उसे इसी वित्तीय वर्ष में सरकार को वापस देने की आवश्यकता दोहराई।

संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समस्त नियंत्रकों को उनकी शाखाओं से सरकार के खातों को चिन्हित करने एवं स्वयं सहायता समूह के लंबित ऋण आवेदन पत्रों को 31 दिसम्बर 2016 तक कार्यवाही कर निस्तारण करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समस्त नियंत्रकों से अनुरोध किया कि बैंक शाखा द्वारा आरसेटी/ रुडसेटी से प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों को मुद्रा ऋण स्वीकृति हेतु भेजे गए आवेदन को उचित कारणों का अंकन कर अगले उच्च अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के उपरांत ही लौटाया जाए तथा इसका समुचित रिकॉर्ड रखा जाए।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

निदेशक, के.वी.आई.सी. ने PMEGP के संदर्भ में बताया कि उनके द्वारा 3400 आवेदन बैंकों को प्रायोजित किए गए हैं जिसमें से बैंको के द्वारा 100 आवेदन पत्र स्वीकृत कर दिये गए हैं जिसमे से 46 आवेदन ही वितरण किए हैं एवं लगभग 3100 आवेदन बैंकों के पास विचाराधीन हैं।

BRSY के संदर्भ में उन्होने बताया कि 11000 के भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष 9700 आवेदन बैंकों को प्रायोजित किए गए हैं जिसमें से 2067 आवेदन वितरित हुए हैं और लगभग 5796 आवेदन बैंकों के पास विचारधीन हैं। इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का अतिशीघ्र निबटारा करने की आवश्यकता बताई गयी जिससे बैंक एवं DIC दोनों के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। उन्होने निवेदन किया कि बैंको द्वारा मुद्रा योजना में लाभान्वित ऋणियों में से भामाशाह रोजगार सृजन योजना में पात्र की DIC को सूचना प्रेषित करें जिससे प्रात्र ऋणियों को ब्याज सब्सिडी का लाभ मिल सके।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समस्त बैंक नियंत्रकों को PMEGP एवं BRSY में लंबित आवेदनों का निस्तारण करने एवं ब्याज अनुदान क्लेम करने बाबत उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि 3 अक्टूबर 2016 को प्रमुख शासन सचिव, एमएसएमई, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में PMEGP पोर्टल की प्रक्रिया को समझने हेतु बैंकों के लिए वर्कशॉप आयोजित करने का निर्णय लिया गया था जिस पर विभाग के द्वारा काफी समय निकालने पर भी कार्यवाही नहीं की गयी है।

(कार्यवाही: KVIC विभाग)

प्रतिक्रिया में **निदेशक, के.वी.आई.सी.** ने उक्त वर्कशॉप जल्द ही आयोजित करने का आश्वासन दिया।

<u>एजेण्डा क्रमांक - 2</u>

शाखा विस्तार: 30 सितम्बर 2016 तक राज्य में कुल 7395 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 की द्वितीय तिमाही में बैंकों द्वारा कुल 64 शाखाएं खोली गयी, जिनमें से 46 (72%) शाखाएँ ग्रामीण, 17(27%) अर्धशहरी व 1(2%) शहरी केन्द्रों में खोली गयी हैं जिनमे से लगभग 98% शाखाए ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्र में खोली गई हैं।

जमाएँ व अग्रिम: 30 सितम्बर 2016 को राज्य में 10.25% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ कुल जमाएँ रूपये 2,95,356 करोड़ तथा 5.67% वर्ष दर वर्ष ऋणात्मक वृद्धि के साथ कुल ऋण रूपये 2,24,153 करोड़ रहे हैं । वाणिज्य, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमाओं में YOY वृद्धि क्रमश:

10.47%,13.18% रही तथा को-ऑपरेटिव बैंकों की जमाएँ YTD वृद्धि नकारात्मक 0.02% रही एवं YOY वृद्धि 3.34% रही है।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने विमुद्रीकरण के कारण आगामी तिमाही में जमाओं में असाधारण इजाफ़ा होने की संभावना जताई है। उन्होने ऋणों में YOY वृद्धि नकारात्मक 5.67% का मुख्य कारण राज्य में बैंकों द्वारा डिस्कोम को स्वीकृत 31,000 करोड़ रूपये (लगभग) की ऋण सुविधा का उदय स्कीम के अंतर्गत बॉण्ड में रूपान्तरित होना बताया। उन्होने अवगत करवाया कि यदि डिस्कोम संबंधित ऋणों को निकाल देवें तो YOY वृद्धि 8.48% दर्ज हुई है। वाणिज्य तथा को-ऑपरेटिव बैंकों के ऋणों में YOY नकारात्मक वृद्धि क्रमश: 7.41% तथा 0.81% रही है लेकिन को-ऑपरेटिव बैंकों के ऋणों में YTD वृद्धि 11.63% प्रतिशत रही है ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 30 सितम्बर 2016 को राज्य में 14.64% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 1,54,064 करोड़ रहा है ।

कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 30 सितम्बर 2016 को राज्य में 12.60% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 84,796 करोड़ रहा है ।

सूक्ष्म व लघु उद्यम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण: 30 सितम्बर 2016 को राज्य में 17.23% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ सूक्ष्म व लघु उद्यम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 69,268 करोड़ रहा है।

कमजोर वर्ग को ऋण: 30 सितम्बर 2016 को राज्य में 21.87% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ कमजोर वर्ग को प्रदत्त ऋण रूपये 52,811 करोड़ रहा है।

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण: 30 सितम्बर 2016 को राज्य में 18.65% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण रूपये 12,700 करोड़ रहा है।

राज्य में **कुल अग्रिमों** का **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को** अग्रिम 68.73%, **कृषि क्षेत्र** को 37.83%, **कमजोर वर्ग** को 23.56%, **लघु एवं सूक्ष्म कृषकों** को 15.91% तथा सूक्ष्म उद्यमियों को 10.85% रहा है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बैंचमार्क के ऊपर हैं।

साख जमा अनुपात (CD Ratio): 30 सितम्बर 2016 को राज्य में साख जमा अनुपात 78.54% रहा हैं । जिला स्तर पर 9 जिलों का साख जमा अनुपात 100% से अधिक रहा हैं, 17 जिलों का साख जमा अनुपात 60% से 100% के बीच तथा 3 जिलों का साख जमा अनुपात 50% से 60% के बीच रहा है, तीन जिलों यथा अजमेर, राजसमन्द तथा सिरोही में यह अनुपात 40% से 50% के बीच क्रमशः 49.30%, 42.56% व 44.80% रहा है व डूँगरपुर में साख-जमा अनुपात 39.14% रहा है।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि डुंगरपुर जिले में CD Ratio 40% से कम रहने के कारण DCC की विशिष्ट उप समिति गठित की जाएगी जिसको अग्रणी जिला प्रबन्धक द्वारा समन्वित किया जावेगा जिसके सदस्य संबन्धित जिले के जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि, RBI के LDO, नाबार्ड के DDM, जिला आयोजना अधिकारी होंगे जिनके द्वारा साख जमा अनुपात

वृद्धि में आ रहे अवरोधकों के कारणों का विश्लेषण करने हेतु अनुवर्तनीय कार्य योजना (Monitorable Action Plan) बनायी जाएगी। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से अग्रणी जिला प्रबन्धक डुंगरपुर एवं प्रयोजक बैंक को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सूचित किया जाएगा।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक डूंगरपुर)

वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति: वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2016-17 हेतु निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में द्वितीय तिमाही की उपलब्धि 43% रही। विभिन्न उप क्षेत्रों के तहत कृषि में 39%, सूक्ष्म व लघु उघम क्षेत्र में 78%, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 17% की उपलब्धि वर्ष की द्वितीय तिमाही में दर्ज की गई।

वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2016-17 हेतु निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष द्वितीय तिमाही में वाणिज्यिक बैंकों ने 48%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 39% तथा को-ऑपरेटिव बैंक ने 29% की उपलब्धि दर्ज की है।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लक्ष्य प्राप्ति की गति को धीमी बताते हुए समस्त बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया कि वे अपनी शाखाओं को बचे समय में 100% लक्ष्य हासिल करने हेतु अभिप्रेरित करें एवं शाखावार लक्ष्यों की सतत निगरानी रख समीक्षा करें।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

सदन को अवगत करवाया कि पिछली बैठक के दौरान **प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार** ने वार्षिक साख योजना से सम्बंधित अन्य नजदीकी राज्यों के आंकड़े प्राप्त कर राज्य की प्रगति की तुलनात्मक समीक्षा करने हेतु निर्देशित किया गया था, इस हेतु नजदीकी राज्यों गुजरात, हरियाणा, पंजाब इत्यादि राज्यों का 30 सितम्बर 2016 का साख-जमा अनुपात (CD Ratio) गुजरात (79.05%), हरियाणा (74.59%) पंजाब (68.32%) के सापेक्ष में राजस्थान का साख जमा अनुपात (78.54%) है जो कि तुलनात्मक रूप से बेहतर है एवं वार्षिक साख योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 के आंकड़े प्राप्त कर तुलनात्मक समीक्षा भी की गई तथा वार्षिक साख योजना के आकार में राजस्थान राज्य की प्रगति को गुजरात के बाद सर्वाधिक संतोषप्रद बताया। राज्यवार लक्ष्यों में वृद्धि के मामले में राजस्थान के लक्ष्य चुनौतीपूर्ण एवं अन्य राज्यों से काफी अधिक रखे गए हैं।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने इंगित किया कि वार्षिक साख योजना के अंतर्गत सितम्बर 2016 तिमाही में राजस्थान की प्रगति अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी अच्छी रही है।

एजेण्डा क्रमांक – 3

1. Preparation of Financial Inclusion Plan (FIP) – 2016-19

बैंक ऑफ बड़ौदा, धनलक्ष्मी बैंक, आईडीबीआई बैंक, एस.बी.बी.जे. एवं यूनियन बैंक, BRKGB, RMGB, HDFC, नैनीताल बैंक के अलावा अन्य बैंकों ने RBI के दिशानिर्देशानुसार बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन प्लान "**अप्रेल 2016 से मार्च 2019"** निर्धारित प्रारूप में भारतीय रिजर्व बैंक एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को बार-बार अनुवर्तन उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किया है। शेष बैंकों से उपरोक्त प्लान अविलंब प्रस्तुत करने का आग्रह किया।

(कार्यवाही: अन्य सभी बैंक)

2. Roadmap for coverage of villages having population above 5000 (As per census 2011)

सदन को 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित गॉवों को कवर करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से अवगत करवाते हुए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा अग्रणी जिला प्रबंधकों के सहयोग से 171 बैंक रहित गॉव चिन्हित कर विभिन्न बैंकों के मध्य आवंटित करने एवं भारतीय रिजर्व बैंक को रोडमैप प्रस्तुत कर दिये जाने के बारे में सूचित किया गया।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सितम्बर 2016 तिमाही तक उक्त रोडमैप के अंतर्गत 9 नयी बैंक शाखाएं खोलने से सूचित किया तथा शेष 162 शाखाएं वित्तीय वर्ष 2016-17 में खोले जाने हेतु नियंत्रक बैंकों से अनुरोध किया तथा सूचित किया कि जून, 2016 तिमाही में केवल BRKGB ने 1 शाखा खोली है। शेष शाखाएँ 31 मार्च 2017 तक खोलने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने PMJDY के संदर्भ में बताया कि हमारे राज्य में 31 अक्तूबर तक RUPAY कार्ड एक्टिवेशन 48% तथा आधार सीडिंग 66% है। इन दोनों पैरामीटर में ज्यादा प्रयास की आवश्यकता है। सामाजिक सुरक्षा स्कीम के संदर्भ में बताया कि अब तक लगभग 56 लाख पॉलिसी का प्रीमियम 42 करोड़ रुपए ग्राहकों द्वारा भुगतान किया चुका है एवं लगभग 63 करोड़ रुपए के क्लेम सैटल किए जा चुके हैं। 268 क्लेम अभी विचारधीन हैं। बैंकों से अनुरोध है कि सभी योग्य खाता धारकों को इस स्कीम से जोड़ा जाए।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक एवं बीमा कंपनी)

3. Spread of Financial Literacy in ITIs, Skilling Centre

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने वित्तीय समावेशन के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता पर जोर दिया एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा मैप किए गए वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (FLCs) एवं बैंक शाखाओं के माध्यम से सरकारी व गैर सरकारी ITIs, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स (VTPs) और ऑपरेशनल केंद्र (OCS) जैसे कौशल विकास केन्द्रों मे वित्तीय साक्षरता का प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया। उन्होने सूचित किया कि 55743 विद्यार्थियों ने इस प्रोग्राम में भाग लिया है तथा 54056 विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता सामग्री वितरित की गयी है।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

4. NABARD Guidelines regarding Solar powered V-SAT connectivity to kiosk/ fixed CSP in the SSA- Support under FIF

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने महाप्रबन्धक, नाबार्ड श्री आर.के.थानवी से एजेंडा पर प्रकाश डालने का अनुरोध किया। **महाप्रबन्धक, नाबार्ड** ने बताया कि विमुद्रीकरण के चलते सभी बैंकों को ग्राहकों को डिजिटल उत्पादों के उपयोग के लिए सहज बनाने की आवश्यकता है जिसके लिए

क्षेत्रीय बैंकों एवं वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नाबार्ड के वित्तीय समावेशन फण्ड (FIF) का उपयोग दो तरह से किया जा सकता है:-

1. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाने हेतु एवं
2. ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु ।

उन्होने बताया कि कनेक्टिविटी की समस्या से निवारण हेतु सौर उर्जा चालित वी-सैट कनेक्टिविटी (V-SAT) लगाने के लिए के लिए 6 बैंकों को नाबार्ड से सैद्धांतिक मंजूरी दे गयी है एवं अन्य बैंकों को इस हेतु नाबार्ड से संपर्क करने हेतु आग्रह किया।

5. बैंक शाखा खोलने हेतु बजट घोषणा

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन को अवगत करवाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में माननीया मुख्यमंत्री ने 500 शाखाएँ खोलने हेतु बजट घोषणा की है तथा शाखा विस्तार योजना अंतर्गत बैंकों ने वर्ष 2016-17 में 353 शाखाएं खोलने का रोडमेप प्रस्तुत किया है जो कि आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित कर दिया गया है तथा दिनांक 30.09.2016 तक राज्य में 109 बैंक शाखाएं खोलने से भी अवगत करवाया।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

6. Constitution of State Level Financial Inclusion Committee (SLFIC)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि विभिन्न योजनाओं यथा प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (PMJJBY), अटल पेंशन योजना (APY), तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के सफल संचालन/मॉनिटरिंग हेतु राज्य स्तरीय वित्तीय समावेशन समिति (SLFIC) का गठन किया गया, जिसकी प्रथम बैठक दिनांक 23.05.2016 एवं द्वितीय बैठक दिनांक 08.08.2016 को मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई तथा बैठक के दौरान मुख्य सचिव द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये गए थे जिनसे सभी बैंक के नियंत्रकों को अवगत करवा दिया है।

7. वित्तीय समावेशन हेतु विशिष्ट अभियान

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन के लिए विशिष्ट अभियान 15.09.2016 से 31.10.2016 चलाया गया जिसमे सभी बैंकों की अभियान के तहत ट्रेक 1 एवं ट्रेक 2 की गतिविधियों की प्रगति एजेंडाबुक में संलग्न की गई है।

8. स्टेण्ड अप इण्डिया योजना की राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि स्टेण्ड अप इण्डिया योजना के प्रभावी रूप से क्रियान्विति हेतु राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन के आदेश राज्य सरकार ने दिनांक 22.08.2016 को जारी कर दिये हैं। समिति में सदस्य के रूप में दो विधायकों जिनमें एक अनुसूचित जाति/अनूसूचित जन जाति श्रेणी एवं एक महिला का नाम मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा नामित किया जाना प्रतीक्षित है। समिति की प्रथम बैठक का आयोजन भी उपरोक्त नामांकन के उपरांत प्रस्तावित किया जाना है। **(कार्यवाही: आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)**

9. राज्य स्तरीय समिति - आरसेटी

सदन को अवगत करवाया कि राज्य स्तरीय समिति, आर सेटी का गठन किया जाकर प्रथम बैठक का आयोजन दिनांक 08.08.2016 को शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में किया गया एवं 130 वीं बैठक के कार्यवृत टेबल एजेंडा के रूप में सदन में प्रस्तुत किए गये हैं।

10. आधार सीडिंग

निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार ने संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को 18 राज्यों के मनरेगा लाभार्थियों के आधार कार्ड खातों में सीड करवाने हेतु प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा था। इस क्रम में **सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि हमारे राज्य में केवल 2 जिला अग्रणी प्रबन्धकों को सीमित संख्या में आधार सहमति पत्र प्राप्त हुए हैं। उन्होने मिशन कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से भी अनुरोध किये जाने से अवगत करवाया तथा वितरित किये सहमति पत्रों की संपूर्ण जानकारी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को उपलब्ध करवाये जाने का अनुरोध किया है ताकि उन्हे जल्द से जल्द खातों में सीड करवाया जा सके।

11. ग्राम पंचायत स्तर पर ATM स्थापना

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर ATM स्थापना हेतु राज्य सरकार के द्वारा ATM लगाने की लागत साझा करने संबंधी कोई प्रस्ताव बैंकों से DoIT विभाग को नहीं भेजा गया है।

12. अटल पेंशन योजना

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया गया कि PFRDA द्वारा दिये गए अटल पेंशन योजना के तहत कुल लक्ष्य 457840 के विरूद्ध मे 143196 उपलब्धि है जो कि 31.28% लक्ष्य प्राप्ति हैं जिसमें से निजी क्षेत्र के बैंको की प्रगति 21% है एवं सहकारी बैंकों की प्रगति लगभग शून्य है अतः समस्त बैंकों को इस ओर अधिक प्रयास करने की आवश्यकता दोहरायी।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

13. Withdrawal of legal tender of Rs.500 and Rs.1000 notes

उक्त प्रसंग में सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने महाप्रबंधक (निर्गम विभाग), भारतीय रिजर्व बैंक को विषय पर प्रकाश डालने के लिए अनुरोध किया।

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि सभी संभागों को अधिकतम नकदी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 नवम्बर 2016 से अब तक 12080 करोड़ रुपए 10, 20, 50, 500 एवं 2000 के गुणकों में करेंसी चेस्ट शाखाओं को दिये हैं। 500 रुपए के नए नोट अगले माह तक अधिक मात्रा में आने की संभावना बताई। पॉलिसी प्रकरण के चलते बार्डर क्षेत्र के 25 करेंसी चेस्ट शाखाओं को बड़े डिनोमिनेशन के नोटों की आपूर्ति नही की जा रही है। उन्होने बताया कि रीकेलिब्रेटेड ATM के लिए भी अलग से नकदी उपलब्ध कारवाई जा रही है।

शाखाओं के आपातकालीन आवश्यकता हेतु बैंको के नियंत्रक कार्यालय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से सीधे संपर्क करने पर भी नकदी उपलब्ध करवा दी जावेगी एवं करेंसी चेस्ट शाखाओं में पूर्ण निगरानी रखी जा रही है एवं करेंसी चेस्ट शाखाओं में आवश्यकता के अनुरूप नकदी भेजी जा रही है ।

अध्यक्ष, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक ने मुद्दा उठाया कि नकदी वितरण बैंकों के शाखा नेटवर्क के आधार पर की जानी चाहिए ना कि करेंसी चेस्ट शाखाओं के आधार पर क्योंकि इस कारण से अधिकतर बैंकों को बहुत कम नकदी उपलब्ध कारवाई गयी है। महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि जिस बैंक की करेंसी चेस्ट को नकदी उपलब्ध करवाई है, उस बैंक की शाखाओं के अलावा अन्य बैंकों की शाखाओं को भी नकदी वितरित की जा रही है।

बैठक के अध्यक्ष तथा प्रबन्धक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि SBI एवं SBBJ की करेंसी चेस्ट शाखाओं के साथ लिंक अन्य बैंकों की शाखाओं को नगदी उपलब्ध नही करवाई जा रही है ऐसे मामलों में बैंकों की शाखाओं को आनुपातिक रूप से नकदी उपलब्ध करवाने हेतु सभी करेंसी चेस्ट को भारतीय रिजर्व बैंक निर्देश जारी करवाकर अनुपालना सुनिश्चित करवाये।

(कार्यवाही: भारतीय रिजर्व बैंक)

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि करेंसी चेस्ट् शाखाओं को उक्त संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिये गए हैं कि लिंक शाखाओं को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नगदी उपलब्ध करवायी जाए।

अध्यक्ष, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा RBI में पैसा जमा कराया जा चुका है उसे CRR का भाग माना जाए क्योंकि विमुद्रीकरण के कारण नगदी की उपलब्धता कम है जिससे उन्हें CRR के लिए अलग से व्यवस्था करना बहुत मुश्किल हो रहा है। उन्होने यह भी कहा कि आरबीआई द्वारा उन्हें (SBN) का नकदी प्रेषण हेतु जल्दी समय दिया जाए क्योंकि उनकी शाखाओं में काफ़ी मात्रा में नगदी एकत्रित हो गयी है जिसकी सुरक्षा बैंक स्टाफ को करनी पड़ रही है।

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि करेंसी चेस्ट् एवं जिन बैंको की करेंसी चेस्ट नही है उन बैंको से भी भारतीय रिजर्व बैंक सीधे नगदी प्रेषण स्वीकार करेगा एवं नगदी जमा हेतु समय की मांग पर निर्णय लिया जाएगा।

(कार्यवाही: भारतीय रिजर्व बैंक)

आयुक्त, ई.जी.एस, राजस्थान सरकार ने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि सरकार द्वारा मनरेगा लाभार्थियों के खातों में 75 करोड़ रुपए जमा किये हैं एवं इस राशि में भविष्य में बढ़ोतरी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया कि बैंको को पर्याप्त नगदी उपलब्ध कराएं जिससे मनरेगा लाभार्थियों एवं आम जनता को नगदी उपलब्ध करवा सकें।

(कार्यवाही: भारतीय रिजर्व बैंक)

14. Camps for opening accounts of workers of organized & unorganized sector

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार एवं श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त हस्ताक्षरों से निर्देश जारी किये है कि दिनांक 26.11.2016 से 30.11.2016 तक संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के कामगारों के खाते खोलने हेतु श्रम विभाग द्वारा कैंप लगाये जाएंगे। इन कैंपों की रूपरेखा तय करने एवं क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है जिसमें जिला कलेक्टर, केंद्र व राज्य के श्रम विभाग के प्रतिनिधि एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक होंगे।

इन कैंपों के स्थान तय कर उचित व्यवस्था जिला कलेक्टर एवं श्रम विभाग द्वारा की जाएगी जिसमें बैंक प्रतिनिधि के द्वारा नये खाते खोलने के फार्म, आधार कार्ड सीडिंग एवं मोबाइल नं. सीडिंग के आवेदन स्वीकार किये जावेंगे।

प्रसंगवश, सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि राज्य सरकार को भारत सरकार के सचिव वित्तीय सेवाएं विभाग एवं श्रम विभाग के संयुक्त हस्ताक्षरों से जारी किये निर्देशों की अनुपालना में 26 व 27 नवम्बर 2016 को राजकीय अवकाश के दिन बैंकों ने एकल प्रयास किये। कुछ जिलों के अलावा जिला प्रशासन एवं श्रम विभाग ने निर्देशों की पालना के प्रयास नहीं किये। इन कैंपों के आयोजन में कि जिला प्रशासन एवं श्रम विभाग से अपेक्षित सहयोग नही मिल पाया। दिनांक 27.11.2016 तक बैंको ने विभिन्न जिलों में अपने स्तर से 349 शाखा स्तरीय शिविर आयोजित किये हैं।

(कार्यवाही: श्रम विभाग, केंद्र व राज्य सरकार)

आयुक्त, ई.जी.एस, राजस्थान सरकार ने इस आशय में सभी बैंकों को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। **श्रम विभाग के प्रतिनिधि** के द्वारा भी सभी जिलों मे कार्यरत बैंकों को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया।

15. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया की रबी 2016-17 फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 को जारी कर दी गयी है तथा सभी पात्र ऋणी/ गैर ऋणी किसानों का फसल बीमा कवर उपलब्ध करवाने का आग्रह किया।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि **बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक** को बीमा कम्पनी द्वारा कमीशन का भुगतान नही करने एवं बीमा कम्पनी को प्रेषित ज्यादा प्रीमियम की राशि वापिस नही लौटाने जाने हेतु, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर तथा पंजाब नेशनल बैंक की जिला चूरू में रबी फसल बीमा वर्ष 2013-14 की लम्बित संशोधित क्लेम की राशि को सम्बंधित कृषको के बैंक खातों में जमा नहीं करने के मामले हेतु, भारतीय स्टेट बैंक के किसान क्रेडिट कार्ड धारको के फसल बीमा दावा क्लेम बोई गयी फसल एवं गिरदावरी में अंकित फसल में अंतर के आधार पर बीमा कंपनी द्वारा निरस्त कर दिये जाने हेतु कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के साथ दिनांक 12.12.2016 को बैठक प्रस्तावित है। बैठक में सभी संबंधितों को कृषि विभाग से सूचित करवाने का अनुरोध भी किया गया।

(कार्यवाही: कृषि विभाग, राजस्थान सरकार)

16. Strengthening of Negotiable Warehouse Reciepts (NWRs) by WDRA:

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन को अवगत कराया कि NWR के अंतर्गत सितम्बर 2016 तिमाही में 1566 लाख रुपए का वितरण किया गया है तथा 5285 लाख रुपए के ऋण बकाया हैं।

17. वसूली (Recovery)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन को अवगत कराया कि सितम्बर 2016 तिमाही तक सभी बैंकों का कुल सकल NPA 3.09% होने से सूचित किया गया एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल NPA 6.34% है एवं बैंकों की गैर-निष्पादित आस्तियों विशेषकर कृषि एवं सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के ऋण मामलों में लगातार हो रही वृद्धि की दशा में राज्य सरकार से बैंक ऋण वसूली हेतु समुचित सहयोग करने हेतु अनुरोध किया गया।

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कृषि ऋण संक्रिया (कठिनाई का निवारण) अधिनियम, 1974 एवं राजस्थान कृषि साख प्रचलन (कठिनाई एवं निवारण) नियम (रोडा एक्ट), 1976 के प्रावधानों के तहत जिला कलेक्टर्स को राजस्व कर्मचारियों के सहयोग से बकाया बैंक ऋणों की वसूली के लिए प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किये जाने के बारे में अवगत करवाया । बैंकों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जिला प्रशासन का वसूली में अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाने से नए ऋणों के प्रवाह में कमी देखी जा रही है।

(कार्यवाही: आयोजना विभाग एवं राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

एजेण्डा क्रमांक – 5:
<u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM):</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन को अवगत कराया कि सितम्बर 2016 तिमाही तक योजना के तहत 51676 SHGs गठित किए गये हैं तथा 46587 SHGs को बैंक लिंकेज व 17476 SHGs का क्रेडिट लिंकेज किया गया है।

प्रतिनिधि, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने स्वयं सहायता समूह का बचत खाता खोलने तथा बैंक ऋण हेतु आवेदन करने पर IBA द्वारा अनुमोदित प्रारूप का सभी बैंक शाखाओं द्वारा उपयोग किए जाने हेतु नियंत्रक कार्यालय स्तर से सभी शाखाओं को निर्देशित किए जाने का पुनः अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

<u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM):</u>

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के **परियोजना निदेशक** ने योजनान्तर्गत लंबित आवेदन पत्रों को शीघ्र निस्तारित करने हेतु बैंको से आग्रह किया।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने NULM के परियोजना निदेशक से अनुरोध किया कि वह मासिक आधार पर सभी बैंकों के नियंत्रक कार्यालय को प्रेषित आवेदनों एवं प्रगति से अवगत करवाएँ ताकि बैंक अपनी शाखाओं से आवेदनों के शीघ्र निस्तारण हेतु फॉलोअप कर सकें।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा शाखाओं को PMEGP e-portal पर लॉगिन करने के लिए User Id एवं Password उपलब्ध करवा दिये गए हैं। समस्त सदस्य बैंकों के नियंत्रकों को MIS रिपोर्ट देखने के लिए भी User Id एवं Password दिये गए हैं।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

Special Central Assistance Scheme SC/ST

महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि उक्त स्कीम में दिये गए 29088 लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 11% लक्ष्य हासिल किये गए हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन को अवगत कराया कि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लक्ष्य 4950 करोड़ के सापेक्ष 8 नवम्बर 2016 तक 2283 करोड़ (46.11%) लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं।

साथ ही यह भी बताया कि संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं महाप्रबंधक, सिडबी के संयुक्त तत्वाधान में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं स्टेण्ड अप-इण्डिया की प्रगति के लिए बैंको की 5 समीक्षा बैठक अक्टूबर 2016 माह में आयोजित की गई है एवं बैंकों को निर्देशित किया कि वह मुद्रा योजना के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष के लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

Credit Assistance given to RSETI trainees under MUDRA Scheme

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदस्य बैंकों से विचाराधीन ऋण आवेदनों का निबटारा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप करने का अनुरोध किया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 130वीं बैठक के निर्णय के अनुरूप सभी सदस्य बैंकों से उनकी शाखाओं को निर्देशित करने हेतु अनुरोध किया कि RSETI/RUDSETI प्रशिक्षणार्थियों के ऋण आवेदन बिना किसी ठोस कारण के लौटाए न जाएं एवं आवेदन अगले उच्च अधिकारी के पूर्व अनुमोदन पर उचित कारणों का अंकन कर ही लौटाए जाएं।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

भामाशाह रोजगार सृजन योजना

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं के शाखाओं मे स्वीकृति/ वितरण हेतु लम्बित आवेदन पत्रों को भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार निस्तारण करवाने हेतु तथा प्रगति SLBC को नियमित रूप से भिजवाने हेतु समस्त

बैंकों से आग्रह किया। उन्होने बतलाया कि BRSY में 11000 के लक्ष्य के सापेक्ष 8025 आवेदन बैंकों को प्रेषित किए गए जिसमें से बैंकों द्वारा 1581 आवेदन स्वीकृत किए गए। शेष लंबित 5796 आवेदनों पर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह भी किया।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

<u>स्टैंड अप इण्डिया कार्यक्रम</u>

स्टैंड अप इण्डिया योजना की प्रभावी क्रियान्विति हेतु राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन के आदेश राज्य सरकार से दिनांक 22.08.2016 को जारी किये जा चुके हैं। समिति की प्रथम बैठक का आयोजन राज्य सरकार से माननीय विधायकों का सदस्य के रूप में मनोनयन करने के उपरांत ही प्रस्तावित किया जाएगा है।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

महाप्रबंधक, सिडबी ने सदन को अवगत करवाया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम का शुभारम्भ अप्रेल 2016 में किया गया जिसके तहत प्रत्येक शाखा द्वारा एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और एक महिला उद्यमी को 10 लाख से 100 लाख तक का ऋण देकर नया उपक्रम स्थापित करना है। योजना को सफल बनाने और इससे जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए वेबसाइट www.standupmitra.in पर उपलब्ध हैं एवं बैंक योजनान्तर्गत प्रगति की सूचना भी पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं । फिलहाल राज्य में बैंको की शाखाओं की संख्या के आकार के हिसाब से ऋण देने की प्रगति आशानुरूप नही है।

उन्होने बैंको से अनुरोध किया की लक्ष्य प्राप्ति हेतु अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र के बैंको द्वारा पोर्टल में लॉगिन करने कार्य की प्रगति बहुत ही कम है। सभी बैंक शाखाएँ, अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं आम हितग्राही पोर्टल से नियमित लॉगिन करने का आग्रह किया एवं पोर्टल में दर्शित आवेदन पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

<u>एजेण्डा क्रमांक – 6</u>

Rural Self Employment Training Institute (RSETI) and Financial Literacy & Credit Counseling Centers (FLCC):

Rural Self Employment Training Institute (RSETI):

सितम्बर 2016 तिमाही में आरसेटी द्वारा 9898 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने तथा उनमें से 4368 व्यक्तियों के व्यवस्थापन हो जाने के बारे में अवगत करवाया गया। राज्य में सभी आरसेटी द्वारा प्रशिक्षित कुल उम्मीदवारों की संचयी व्यवस्थापन दर (67.39%) रही है, जिसमें से (44.81%) प्रशिक्षणार्थियों को बैंक ऋण से व्यवस्थापित किया गया है।

(कार्यवाही: आरसेटी/रुडसेटी संस्थान एवं प्रायोजक बैंक)

RSETI- Status Building Construction (Summary)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि 8 भवन निर्माणाधीन हैं एवं 4 जिलों में भूमि आवंटन प्रकरण राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

Progress under RBI's Model Scheme for Financial Literacy Centers

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में 67 वित्तीय साक्षरता केंद्र संचालित किए जा रहे हैं एवं उनके द्वारा सितम्बर 2016 तिमाही में आयोजित कैंपों कि समीक्षा भी कि गयी है।

(कार्यवाही: FLC केंद्र एवं प्रायोजक बैंक)

एजेण्डा क्रमांक – 7

Performance under CGTMSE

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने योजनान्तर्गत राज्य की सितम्बर 2016, तिमाही तक की प्रगति के संबंध में अवगत करवाया कि 9071 उद्यमियों को 323 करोड़ का वित्तपोषण प्रदान करते हुए उक्त योजनांतर्गत कवर किया गया है।

एजेण्डा क्रमांक – 8

शिक्षा ऋण

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने योजनान्तर्गत राज्य में 30 सितम्बर 2016 तक राज्य में 7156 छात्रों को राशि 199 करोड़ रू का शिक्षा ऋण वितरित किया गया है। सितंबर 2016 तिमाही तक शिक्षा ऋण में बकाया राशि 1571.21 करोड़ रुपए होने से भी सूचित किया गया।

एजेण्डा क्रमांक – 9

प्रधानमंत्री आवास योजना

उक्त योजना के अंतर्गत योग्य शहरी गरीब(EWS/LIG) के द्वारा निर्माण अथवा अधिग्रहण के लिए आवास ऋण पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिड़ी दी जाएगी। **सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने NHB एवं HUDCO के प्रतिनिधियों से योजना पर प्रकाश डालने का अनुरोध किया।

NHB के प्रतिनिधि ने बताया कि बैंकों के द्वारा योजनान्तर्गत 888 आवेदन स्वीकृत किये हैं एवं बताया कि राज्य की प्रगति आशानुरूप नही है साथ ही बैंको से अनुरोध किया कि योजनान्तर्गत प्रगति हेतु अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है एवं आगामी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में बैंकवार सूचना समीक्षा हेतु संकलित करने की आवश्यकता बतलाई।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं समस्त बैंक)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने NHB के प्रतिनिधि को सूचना के लिए प्रारूप उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: राष्ट्रीय आवास बैंक)

HUDCO के प्रतिनिधि ने बताया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की प्रगति आशानुरूप नही है जिसमे से आरएमजीबी के द्वारा सिर्फ 131 व्यक्तियों को एवं बीआरकेजीबी द्वारा केवल एक व्यक्ति को लाभान्वित किया गया है। संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से अनुरोध किया कि इस आशय में सभी बैंकों को अधिक प्रयास करने हेतु निर्देशित करें।

बैठक के अध्यक्ष तथा प्रबन्धक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सुझाव दिया कि व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए योजनान्तर्गत लक्ष्य प्राप्ति हेतु बैंको के साथ HFCs को भी शामिल किया जावे जिससे कि लाभान्वितों की संख्या में बढ़ोतरी हो सके।

<u>पंजीयन एवं मुद्राक विभाग</u>

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार ने जानकारी दी कि कृषि भूमि रहननामा के ऑनलाइन पंजीयन का पायलट क्रियांवयन बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं के साथ उनियारा ब्लॉक में सफलता से कर लिया है। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर की अनुमति के अभाव में उनकी शाखाओं में उपरोक्त को लागू किया जाना लंबित है। उन्होंने बतलाया कि कृषि भूमि रहननामा का पंजीयन ऑनलाइन होने से समस्त किसान ही नहीं बैंक भी लाभान्वित होंगे।

इस योजना के तहत बैंक ऑनलाइन ही कृषि भूमि रहननामा के पंजीयन हेतु रजिस्ट्रार को भेजेंगे एवं रजिस्ट्रार कार्यालय पंजीयन कर रहननामा बैंकों को बिना मानवीय हस्तक्षेप के प्रेषित किया जाएगा एवं जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर के द्वारा समस्त बैंकों के शाखा प्रबंधकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

(कार्यवाही: SBBJ, अन्य बैंक एवं महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग)

अंत में उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा श्री सुरेश पाटणकर ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया।

****